न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

1.अपील संख्या 158/23 — **निर्णय दिनांकः** 28.12.23
(जीसीएमएस संख्या 2023/227)

1. सहीराम पुत्र जोराराम जाति बिश्नोई निवासी माणकासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. दुर्गा पत्नी रामधन
2. जितेन्द्र कुमार पुत्र रामधन
3. राजेश्वरी पुत्री रामधन
समस्त जाति बिश्नोई निवासी गोडू तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बज्जू।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 04—05—2023
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू

उपस्थितिः—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री अजय कुमार ओझा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बज्जू के आदेश दिनांक 04—05—2023 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्रथम वरियता नहीं होते हुए भी वादग्रस्त भूमि का आवंटन बतौर विशेष आवंटन किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम)1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के पिता द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 25 एमजीएम के मुरब्बा नम्बर 161/38 की 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 04–05–2023 को वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स को किया गया है। जबकि वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की बनती है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स को किये जाने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों पर रेस्पोडेन्ट की प्रथम वरियता मानते हुए बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के मनमर्जी तरीके से उक्त आवेदित भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटन कर दी गई। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व न तो अपीलांट का कोई नोटिस प्रदान किया गया ना ही अन्य आवेदकों को कोई सूचना, नोटिस अथव सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति में रखा जाकर पात्रता व वरियता निर्धारित करते हुए आवंटन किया जाना होता है। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट का भी आवेदन था। इसलिए आराजी जैर के आवंटन की प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट् का प्रार्थना पत्र दिनांक 22–09–2022 को खारिज किया जा चुका है, परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज करने से पूर्व अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर ही प्रदान नहीं किया गया है। नाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी जैर के आवंटन से पूर्व रेस्पोडेन्ट्स के धारण की भूमि की ही भलीभांति जॉच ही की गई है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रेस्पोडेन्ट्स के धारण में पूर्व से ही सीलिंग सीमा से अधिक भूमि निहित है, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट्स को उक्त भूमि किसी भी स्थिति में आवंटित नहीं की जा सकती थी। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए उक्त भूमि का आवंटन अपने पक्ष में करवाया गया है। अदालत मातहत द्वारा पक्षकारों के धारण की भूमि की कतई जॉच नहीं की गई। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट्स के कथन पर विश्वास करते हुए बिना जॉच व रिपोर्ट प्राप्त किये आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा तथ्यों को अनदेखा कर आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत पारित किया है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए राज्य सरकार को भी आर्थिक हानि पहुँचाई है। यदि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु सभी समान वरियता के पक्षकारों को आवंटन हेतु बुलाया जाता तो निश्चित रूप से बोली लगती व अधिकतम बोलीदाता को वादगत् भूमि का आवंटन किया जाता। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो कानून की दृष्टि में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे व प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि सभी आवेदकों को सुनवाई व अवसर प्रदान करते हुए प्राथमिकता के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2008 पार्ट II पेज 1264, आऱआरडी 2001 पेज 263, डीएनजे 2023 पार्ट I राज. पेज 69, आरआरडी 2014 पेज 653 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि वादगत् भूमि चक 25 एमजीएम के मुरब्बा नम्बर 161/38 तादादी 25 बीघा भूमि के विशेष आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट्स के पति/पिता रामधन द्वारा वर्ष 2007 में आवेदन किये जाने पर तत्समय अपीलांट व अन्य आवेदकों की वरियता कायम करते हुए अभिलिखित किया गया है कि चारों आवेदकों में क्रम संख्या 2 पर अंकित श्री सहीराम का प्रार्थना पत्र दिनांक 22—09—2022 को निरस्त हो चुका है तथा शेष आवेदक क्रम संख्या 3 व 4 अन्य तहसीलों व जिलों के होने के कारण विशेष आवंटन नियमों के अन्तर्गत श्री रामधन पुत्र अर्जुनराम की वरियता प्रथम बनती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के विधिवत आवंटन से पूर्व सभी आवेदन पत्रों की जॉच करने के उपरान्त यह पाये जाने पर किस आराजी जैर के आवंटन की प्रथम वरियता रेस्पोडेन्ट्स की होने के आधार पर ही आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में विधि सम्मत् तरीके से किया गया है। आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वादगत् भूमि की निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि 425464/— जमा करवा दी गई थी तथा शेष राशि कालान्तर में जमा करवाते हुए वादगत् भूमि के बाबत् तमाम अधिकार हासिल किये जा चुके है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के बाबत् तमाम कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हैं। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित होने के करीब तीन माह उपरान्त उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। प्रकरण में अपीलांट् का प्रार्थना पत्र दिनांक 22—09—2022 को खारिज किये जाने के उपरान्त अपीलांट् द्वारा अपने खारिजी आवेदन को पुनः बहाल करवाने हेतु कोई अपील न्यायालय के समक्ष आराजी जैर के आवंटन से पूर्व नहीं किया जाना इस तथ्य को जाहिर करता है कि अपीलांट् स्वयं के प्रार्थना पत्र के प्रति सजग नहीं रहा है। प्रकरण में चूंकि अपीलांट् के खारिजी प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का कोई आदेश पारित करते हुए प्रार्थना को बहाल

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट वर्तमान में आराजी जैर से किसी प्रकार से हितबद्व पक्षकार नहीं होने से अपीलांट् की अपील को लोकस स्टेण्डाई के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। प्रकरण में चूंकि अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया को अपनाये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट्स को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट्स का आवंटन बहाल रखा जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट्स को वादगत् भूमि चक 25 एमजीएम के मुरब्बा नम्बर 161/38 में 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 04–05–2023 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट् द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया ना ही अपीलांट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए व सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होने के बावजूद भी वादग्रस्त भूमि का आवंटन करवाया गया है। अदालत मातहत द्वारा बिना तथ्यों की जॉच किये आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अदालत मातहत का उक्त कृत्य प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

(3) इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स के पति/पिता रामधन एवं अन्य दो व्यक्ति कमशः सुशील कुमार व श्रीमती अमरी पत्नी भौण्डाराम द्वारा आवेदन पत्र

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रस्तुत किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन से पूर्व तमाम प्रार्थना पत्रों की जॉच उपरान्त वादगत् भूमि के आवंटन हेतु तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया तथा अभिलिखित किया गया कि उक्त चारों आवेदकों में सर्वप्रथम वरियता निर्धारित की जानी है। चारों आवेदकों में क्रम सं. 2 पर अंकित श्री सहीराम का प्रार्थना पत्र दिनांक 22—09—2022 को निरस्त हो चुका है। शेष आवेदक क्रम. सं. 3 व 4 अन्य तहसीलों व जिलों के होने के कारण विशेष आवंटन नियमों के अन्तर्गत श्री रामधन पुन अर्जुनराम की वरियता प्रथम बनती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियम 7 के अनुसार प्राथमिकता क्रम पर रेस्पोडेन्ट्स के पति/पिता को रखते हुए वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

(4) प्रकरण में अपीलांट का यह कथन कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने धारण की भूमि को छिपाते हुए वादग्रस्त भूमि का आवंटन करवाया गया है, परन्तु इस संबंध में अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने धारण की भूमि को छिपाते हुए वादग्रस्त भूमि का आवंटन करवाया गया हो। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की वरियता कायम करते हुए विधि सम्मत तरीके से वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आदेश जैर अपील की पालना में निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है। इसप्रकार वादगत् भूमि के आवंटन की तमाम प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

(5) प्रकरण में उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22—09—2022 को खारिज किया जा चुका था। अपीलांट द्वारा उक्त खारिजी आदेश के विरूद्व आराजी जैर के आवंटन अर्थात दिनांक 04—05—2023 से पूर्व किसी प्रकार की कोई चाराजोई न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हुए नहीं किया जाना इस तथ्य को साबित करता है कि अपीलांट् स्वयं के अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहा है तथा कालान्तर में आराजी जैर के रेस्पोडेन्ट्स को आवंटित होने के पश्चात् उक्त आवंटन की अपील प्रस्तुत किया जाना जाहिर होता है। प्रकरण में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जब तक अपीलांट् स्वयं के प्रार्थना पत्र को पुनः बहाल नहीं करवा लेता तब तक आराजी जैर के आवंटन को चुनौती देते हुए निरस्त करवाने की मांग नहीं की जा सकती। अपीलांट् वर्तमान में अपने पैरों पर स्वयं ही नहीं खड़े है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट्स के पति/पिता की वरियता के संबंध में अपीलांट द्वारां प्रश्नचिन्ह् लगाया जाना युक्तियुक्त नहीं माना जा सकता। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा जारी अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है व उपखण्ड अधिकारी, बज्जू का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–05–2023 यथावत बहाल रखा जाता हैं।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28/12/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर